(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

समक्ष : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

MAC – 1271/2007

विविध अपील (सी) 1243 वर्ष 2007

अपीलकर्ता
अनावेदक क्रमांक 4 : यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा : बैंक प्रबंधक, शाखा कार्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी
(आवेदक क्रमांक 1) 1. श्रीमती बोदली. बाई, पति रामकृपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी-एकता नगर, मकान नंबर 229, गोदारीपारा, पी.एस.-चिरमिरी,तहसील- मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

(आवेदक क्रमांक 2) 2. रमेश कुमार, पिता- रामकृपाल, उम्र-18 साल, निवासी- एकता नगर, मकान नंबर 229, गोदारीपारा, पी.एस.-चिरमिरी,तहसील- मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया(छ.ग.)

(अनावेदक क्रमांक 1) 3. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, द्वारा - मुख्य महाप्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र, जिला- कोरिया (छ.ग.)

(अनावेदक क्रमांक 2) 4. डिपो अधिकारी, क्षेत्रीय भंडार कोरिया, एसईसीएल, चिरमिरी, जिला कोरिया(छ.ग.)

(अनावेदक क्रमांक 3) 5. शंकरदास, पिता - भारतदास, उम्र-38 वर्ष, निवासी- पुराना गोदारीपारा, चिरमिरी, जिला- कोरिया। निवासी - देवदह, थाना खड़गवां, तहसील मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया।

विविध अपील (सी) 1292 वर्ष 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

अपीलकर्ता	1.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, द्वारा - मुख्य महाप्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र, जिला- कोरिया (छ.ग.)
	2.	डिपो अधिकारी, क्षेत्रीय भंडार कोरिया, एसईसीएल, चिरमिरी, जिला कोरिया

बनाम

प्रत्यर्थी (दावेदार क्रमांक 1)	1.	रतन कुमार साहा, पिता - स्वर्गीय कालिदास साहा, उम्र लगभग 46 वर्ष
प्रत्यर्थी (दावेदार क्रमांक 2)	2.	श्रीमती सुचित्रा साहा, पति - रतन कुमार साहा, उम्र लगभग 42 साल दोनों निवासी-एकता नगर, मकान नंबर 223, गोदारीपारा, पी.एस.-चिरमिरी, तहसील- मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)
प्रत्यर्थी (अनावेदक क्रमांक 3)	3.	शंकर दास, पिता- भारत दास पनिका, उम्र-38 साल, निवासी- पुराना गोदरीपारा, चिरमिरी, थाना चिरमिरी, जिला-कोरिया, (छ.ग.)
प्रत्यर्थी (अनावेदक क्रमांक 4)	4.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बैंक प्रबंधक, शाखा कार्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील (सी) 1244 वर्ष 2007

अपीलकर्ता (अनावेदक क्रमांक 4)	1.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा - बैंक प्रबंधक, शाखा कार्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी (आवेदक क्रमांक 1)	1.	रतन कुमार साहा, पिता - स्वर्गीय कालिदास साहा, उम्र लगभग 46 वर्ष
(आवेदक क्रमांक 2)	2.	श्रीमती सुचित्रा साहा, पति - रतन कुमार साहा, उम्र लगभग 42 साल

(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

दोनों निवासी - एकता नगर, मकान नंबर 223, गोदारीपारा, पी.एस.-चिरमिरी, तहसील- मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

(अनावेदक क्रमांक 1) 3. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, द्वारा - मुख्य महाप्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र, जिला- कोरिया (छ.ग.)

(अनावेदक क्रमांक 2) 4. डिपो अधिकारी, क्षेत्रीय भंडार कोरिया, एसईसीएल चिरमिरी, जिला कोरिया

(अनावेदक क्रमांक 3) 5. शंकर दास, पिता - भारत दास, उम्र-38 साल, निवासी- पुराना गोदरीपारा, चिरमिरी, थाना चिरमिरी, जिला-कोरिया, (छ.ग.) दोनों निवासी - ग्राम देवदह, थाना खड़गवां, तहसील मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विविध अपील (सी) 1271 वर्ष 2007</u>

<u>अपीलकर्ता</u>
<u>(अनावेदक क्रमांक 4)</u>

1. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, द्वारा- मुख्य महाप्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र, जिला- कोरिया (छ.ग.)

2. डिपो अधिकारी, क्षेत्रीय भंडार कोरिया, एसईसीएल चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.)

<u>बनाम</u>

<u>प्रत्यर्थी</u>
<u>(दावेदार क्रमांक 1)</u>

1. श्रीमती बोदली. बाई, पति- रामकृपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी-एकता नगर, मकान नंबर 229, गोदारीपारा, पी.एस.-चिरमिरी,तहसील- मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

<u>प्रत्यर्थी</u>
<u>(दावेदार क्रमांक 2)</u>

2. रमेश कुमार, पिता- रामकृपाल, उम्र-18 साल, निवासी- एकता नगर, मकान नंबर 229, गोदारीपारा, थाना- चिरमिरी, तहसील- मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

<u>प्रत्यर्थी</u>
<u>(अनावेदक क्रमांक 3)</u>

3. शंकर दास, पिता- भारत दास, उम्र-38 साल, निवासी- पुराना गोदरीपारा,

(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

चिरमिरी, थाना चिरमिरी, जिला-कोरिया, (छ.ग.)

प्रत्यर्थी 4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
(अनावेदक क्रमांक 4) द्वारा- बैंक प्रबंधक, शाखा कार्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 173 के तहत विविध अपील

उपस्थित :

- श्री दशरथ गुप्ता, अपीलकर्ता के अधिवक्ता (एम.ए.(सी) क्रमांक 1243/2007 और 1244/2007 में) और प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के अधिवक्ता (एम.ए.(सी) क्रमांक 1292/07 और 1271/07 में)
- श्री गौतम खेत्रपाल, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के अधिवक्ता (एम.ए.(सी) क्रमांक 1243/2007 में)
- श्री विवेक रंजन तिवारी, अपीलकर्ता - एसईसीएल के अधिवक्ता (एम.ए.(सी) क्रमांक 1292/2007 में)।
- श्री प्रवीण दास, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता - एसईसीएल (एम.ए.(सी) क्रमांक 1271/2007 में)
- श्री संजय के. अग्रवाल, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के सहित श्री सौरभ शर्मा अधिवक्तागण (एम.ए.(सी) क्रमांक 1244/2007 में)

मौखिक आदेश

(9 फ़रवरी, 2008 को पारित)

बीमा कंपनी द्वारा दायर दो अपीलों (एम.ए.(सी) क्रमांक 1243/2007 और 1244/2007) और उनमें दावेदारों द्वारा प्रतिकर बढ़ाने के लिए दायर दो प्रति-आपत्तियों तथा मालिक द्वारा दायर दो अपीलों (एम.ए.(सी) क्रमांक 1292/2007 और 1271/2007) का, जो दावा मामला क्रमांक 10/2007 और 14/2007 से उत्पन्न हुई थीं, इस एक ही आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

2. स्वीकृत रूप से दुर्घटना की तिथि यानी 21.10.2005 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (संक्षेप में एसईसीएल) ट्रक क्रमांक सी.जी.16-ए/0651, जो एक मालवाहक वाहन था (जिसे आगे ट्रक कहा जाएगा) का मालिक था। कंपनी ने इस ट्रक को अपने एक कर्मचारी श्याम बिहारी के पिता के शव के अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की अनुमति दी थी। ट्रक को प्रत्यर्थी शंकर दास (जिसे अब ड्राइवर कहा जाएगा) चला रहा था। अंतिम संस्कार के बाद, वापसी में रंजन कुमार साहू, उम्र 22 वर्ष और संजय, उम्र 23 वर्ष को ड्राइवर ट्रक में ले जा रहा था। ट्रक पुल से टकराकर पलट गया। रंजन कुमार और संजय दोनों की मृत्यु हो गई। मृतक के माता-पिता द्वारा प्रतिकर के लिए क्रमशः दावा मामला क्रमांक 14/2000 और दावा मामला क्रमांक 10/2000, द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एफ.टी.सी.), मनेन्द्रगढ़, कोरिया (जिसे आगे एम.ए.सी.टी. कहा जाएगा) के समक्ष दायर किया गया था।

3. दोनों मामलों में, एम.ए.सी.टी. ने मृतक की अनुमानित वार्षिक आय 15,000/- रुपये मानकर तथा उसमें से मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए 1/3 घटाकर तथा 17 का गुणांक अपनाकर प्रतिकर का आकलन किया। प्रत्येक मामले में एम.ए.सी.टी. द्वारा दिए गए प्रतिकर का विवरण इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दावा मामला क्रमांक 14/2007 और दावा मामला क्रमांक 10/2007 में</u>

I.	आश्रिता की हानि के लिए	:	₹1,70,000
II.	प्रेम और स्नेह की हानि के लिए और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए	:	₹12,500
III.	संपत्ति के नुकसान की ओर	:	₹ 2,500
	कुल		₹ 1,85,000

4. एम.ए.सी.टी. ने यह निर्णय दिया कि बीमा कंपनी, पॉलिसी की उस शर्त के उल्लंघन के कारण, कि मालवाहक वाहन में अनावश्यक यात्री ले जाए जा रहे थे, प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इसने मालिक, अर्थात् एसईसीएल, उसके डिपो अधिकारी, चालक शंकर दास और बीमा कंपनी पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से प्रतिकर देने का दायित्व तय किया। इसने निर्देश दिया कि बीमा कंपनी प्रतिकर देगी और उसे एसईसीएल, उसके डिपो अधिकारी और चालक से वसूल करेगी। इसने यह भी निर्देश दिया कि एसईसीएल, यदि चाहे, तो पहले दावेदारों को प्रतिकर दे सकता है। मुआवजे की राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का अधिनिर्णय पारित किया, इस शर्त के साथ कि प्रतिकर अधिनिर्णय की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा कर दिया जाए, अन्यथा, प्रतिकर की राशि की वसूली होने तक, निर्णय की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना था।

(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

5. मालिक यानी एसईसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक रंजन तिवारी और श्री प्रवीण दास ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि बीमा कंपनी न तो किसी वैधानिक दायित्व के अधीन थी और न ही किसी संविदात्मक दायित्व के तहत, उन अनावश्यक यात्रियों के जोखिम को शामिल करने के लिए थी, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उन्हें ट्रक, जो एक माल वाहक है, में ले जाया जा रहा था।

6. मालिक यानी एस.ई.सी.एल के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का मुख्य आधार यह था कि मालिक ने पॉलिसी की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया था। एसईसीएल ने ट्रक के इस्तेमाल की मंज़ूरी केवल श्याम बिहारी के पिता के शव को ले जाने के लिए दी थी, और इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रतिकर देने की कोई ज़िम्मेदारी उस पर नहीं थी। इसलिए, अपीलकर्ता - बीमाकर्ता द्वारा मालिक से प्रतिकर वसूलने का आदेश विधिवत ग़लत था। **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरिंदर व अन्य, 2005 (1) टीएसी 217 (पंजाब व हरियाणा), और प्रेम कुमारी व अन्य बनाम प्रह्लाद देव व अन्य, 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 682** का अवलंब लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. एम.ए.(सी) क्रमांक 1243/2007 और 1244/2007 में दावेदारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम खेत्रपाल और श्री सौरभ शर्मा ने तर्क दिया कि एम.ए.सी.टी. को बीमा कंपनी को पहले प्रतिकर देने और उसे मालिक से वसूलने का आदेश देने का अधिकार है। **श्रीमती सुनीता जैन एवं अन्य बनाम कुंवर सिंह उर्फ राजू विश्वकर्मा एवं अन्य, 2007(2) एम.पी.एच.टी. 417, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर, (2004) 2 एससीसी 1:2004 एसीजे 428, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी एवं अन्य, 2002 (9) स्केल 172:2003 (2) एस.सी.सी. 223, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, शिमला बनाम कमला व अन्य, (2001) 4 एससीसी 342:2001 (2) टी.ए.सी. 243**. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मालिक, अर्थात् एसईसीएल, अपने चालक के कृत्यों के लिए प्रतिकर देने के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन था। यह तर्क दिया गया कि एम.ए.सी.टी. ने वार्षिक काल्पनिक आय के आधार पर प्रतिकर निर्धारित करने में गलती की और उसे मृतक की मासिक आय ₹3,000/- निर्धारित करनी चाहिए थी। एम.ए.सी.टी. द्वारा पारंपरिक मदों के अंतर्गत दी गई राशि पर कोई आपत्ति नहीं की गई।

8. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथ गुप्ता ने आग्रह किया कि इस तथ्य के मद्देनजर कि यात्रियों को एक मालवाहक गाड़ी में ले जाया जा रहा था, बीमा कंपनी प्रतिकर देने के लिए किसी भी तरह के वैधानिक या संविदात्मक दायित्व के अधीन नहीं थी। आगे आग्रह किया गया कि एम.ए.सी.टी. के पास उपरोक्त स्थिति में बीमा कंपनी को पहले प्रतिकर देने और उसे एसईसीएल से वसूलने का आदेश देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दिवाकर एवं अन्य, 2006(2) टी.ए.सी. 937(बॉम्बे उच्च न्यायालय), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोम्मिथी सुभयम्मा एवं अन्य, 2005 (2) टी.ए.सी. 1 (एससी) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती राज कुमारी एवं अन्य,**

एआईआर 2008 एस.सी. 403 और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अनुबाई गोपीचंद ठाकरे में बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ द्वारा प्रथम अपील क्रमांक 827/2006 में पारित अप्रकाशित निर्णय का अवलंब लिया गया।

9. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। चूँकि मालिक, अर्थात् एसईसीएल, के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है कि बीमा कंपनी पर ट्रक, जो एक मालवाहक वाहन है, में अनावश्यक यात्रियों के परिवहन के जोखिम को वहन करने का कोई वैधानिक या संविदात्मक दायित्व नहीं था, इसलिए इस पर आगे विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचारणीय एकमात्र बिंदु यह है कि क्या ऐसी स्थिति में एम.ए.सी.टी. ने बीमा कंपनी को पहले प्रतिकर देने और उसे मालिक से वसूलने का आदेश देकर कोई गलती की थी। यह ध्यान देने योग्य है कि एम.ए.सी.टी. ने माना है कि प्रतिकर देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी, एसईसीएल और ड्राइवर की संयुक्त और अलग-अलग थी। इसने आगे निर्देश दिया कि एसईसीएल, यदि चाहे तो, वसूली की कार्यवाही में बीमा कंपनी को भुगतान करने के बजाय दावेदारों को प्रतिकर और ब्याज का भुगतान कर सकता है। यह सच है कि **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी और अन्य, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, शिमला बनाम कमला और अन्य (पूर्वोक्त) और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय और अन्य, 2006 (2) टी.ए.सी. 1(एससी)**, में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत बीमा कंपनी को पहले प्रतिकर देने और इसे मालिक से वसूलने का आदेश दिया है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोम्मीति सुभयम्मा एवं अन्य(पूर्वोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इस मामले पर पूरी तरह लागू होता है, जिसमें यह माना गया है कि ऐसे मामले में बीमा कंपनी पहले दावेदारों को प्रतिकर देने और फिर उसे मालिक से वसूलने के लिए उत्तरदायी नहीं है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोम्मीति सुभयम्मा एवं अन्य (पूर्वोक्त)** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी एवं अन्य, 2003 (2) एसएससी 223** मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया:

"आशा रानी मामले (पूर्वोक्त) में इस संबंध में दिया गया विचार, जिसमें हममें से एक, सिन्हा, जे. एक पक्ष थे, हालांकि, दोहराव के लायक हैं:

26. 1939 के अधिनियम की तुलना में 1988 के अधिनियम में सुसंगत प्रावधानों में हुए बदलावों को देखते हुए, हमारी राय है कि "किसी भी व्यक्ति" शब्दों का अर्थ उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भी माना जाना चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया गया है, यानी "तीसरा पक्ष"। 1988 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि चूंकि इसके प्रावधान किसी वाहन के मालिक पर माल वाहन में यात्रा करने वाले किसी भी यात्री के लिए अपने वाहन का बीमा कराने के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं डालते हैं, इसलिए बीमाकर्ता इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आशा रानी (पूर्वोक्त) में यह देखा गया है कि 1988 के अधिनियम की धारा 147 की उप-धारा(1) के खंड(ख) के उप-खंड (i) में उस दायित्व की बात की गई है जो किसी वाहन के स्वामी द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण हुई क्षति के संबंध में वहन किया जा सकता है। इसके अलावा, यात्री वाहन के स्वामी को वाहन में यात्री की यात्रा के जोखिमों को शामिल करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 1994 के संशोधन के मद्देनजर प्रीमियम केवल तीसरे पक्ष और माल के स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को शामिल करेगा, न कि ऐसे यात्री को जो मालवाहक में ले जाया जा रहा हो, चाहे वह किराये पर, पारिश्रमिक के बदले या अन्य किसी रूप में ही क्यों ना हो ।

अतः, यह स्पष्ट है कि 1994 के संशोधन के बावजूद, माल के स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा अन्य व्यक्तियों के संबंध में धारा 147 में निहित प्रावधान का प्रभाव यथावत बना हुआ है। हालाँकि माल के स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि अब मालवाहक वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, फिर भी विधायिका का उद्देश्य यात्रियों, विशेष रूप से उन निःशुल्क यात्रियों के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व का प्रावधान करना नहीं था, जिनके बारे में न तो बीमा अनुबंध के समय विचार किया गया था और न ही ऐसे वर्ग के लोगों को बीमा के लाभ की सीमा तक कोई अधिमूल्य दिया गया था।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकार, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एम.ए.सी.टी. को बीमा कंपनी को यह आदेश देने का अधिकार देता हो कि वह पहले दावेदारों को प्रतिकर दे और यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद कि बीमा कंपनी पर प्रतिकर देने का कोई वैधानिक या संविदात्मक दायित्व नहीं है, उसे मालिक से वसूल करे। इस दृष्टिकोण से, एम.ए.(सी) क्रमांक 1243/2007 और एम.ए.(सी) क्रमांक 1244/2007 को स्वीकार किया जाना चाहिए।

11. एम.ए.(सी) क्रमांक 1292/2007 और 1271/2007 में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क भी मान्य नहीं हैं। केवल इस तथ्य के आधार पर कि एसईसीएल ने ट्रक के उपयोग को केवल एक कर्मचारी के पिता के शव को ले जाने के लिए स्वीकृत किया था, एसईसीएल को उसके चालक/कर्मचारी द्वारा दाह संस्कार के बाद लौटते समय ट्रक में यात्रियों को ले जाने के कृत्य के लिए उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। दायित्व का सिद्धांत मामले के तथ्यों पर लागू होता है और अपीलकर्ता/मालिक अर्थात एसईसीएल प्रतिकर देने के अपने दायित्व से बच नहीं सकता। इसलिए, एम.ए.(सी) क्रमांक 1292/2007 और 1271/2007 खारिज किए जाने योग्य हैं।

12. जहां तक प्रतिकर की मात्रा का सवाल है, दावा मामला क्रमांक 14/2007 में, दावेदार मृतक के माता-पिता थे, जिनकी आयु 42 वर्ष और 46 वर्ष थी। औसत आयु 44 आती है और दूसरी अनुसूची के अनुसार लागू गुणक 15 होगा। इसी तरह, दावा मामला क्रमांक 10/2007 में, दावेदार मृतक की मां और भाई थे, जिनकी आयु क्रमशः 42 वर्ष और 18 वर्ष थी। यदि मां की आयु को ध्यान में रखा जाता है, तो दूसरी अनुसूची के अनुसार लागू गुणक 15 होगा, जबकि

(प्रकाशन हेतु अनुमोदित)

एम.ए.सी.टी. ने 17 गुणक लागू किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एम.ए.सी.टी. ने प्रतिकर देते समय दोनों मामलों में पहले से ही बहुत अधिक गुणक लागू किया है। जहाँ तक मृतक की व्यक्तिगत आय का प्रश्न है, दावेदारों द्वारा एम.ए.सी.टी. के समक्ष कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मेरी सुविचारित राय में, एम.ए.सी.टी. द्वारा काल्पनिक वार्षिक आय के आधार पर प्रतिकर निर्धारित करना उचित था। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, एम.ए.सी.टी. के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं है। चूँकि पहले ही प्रतिकर अधिक दिया जा चुका है, इसलिए उसे और बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

13. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता बीमा कंपनी द्वारा दायर एम.ए.(सी) क्रमांक 1243/2007 और 1244/2007 को स्वीकार किया जाता है। दोनों दावा क्रमांक 10/2007 और 14/2007 में पारित दिनांक 31.07.2007 के आक्षेपित निर्णय को संशोधित किया जाता है। अपीलकर्ता बीमा कंपनी एम.ए.सी.टी. द्वारा दिए गए मुआवजे और ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व पूरी तरह से एसईसीएल और चालक का है। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 02.11.2007 के आदेश के तहत अपीलकर्ता बीमा कंपनी द्वारा जमा किया गया प्रतिकर एम.ए.सी.टी. द्वारा उसे वापस किया जाएगा। एम.ए.(सी) क्रमांक 1243/2007 और 1244/2007 में दावेदारों द्वारा दायर प्रति आपत्तियाँ अस्वीकार की जाती हैं। मालिक यानी एसईसीएल द्वारा दायर एम.ए.(सी) क्रमांक 1292/2007 और 1271/2007 को खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

19.02.2008

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजन हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by: Advocate Aatish Mishra